नाम/सोश्यल सिक्योरिटी नंबर नो-मैच (मेल न खाना) के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मुझे सोश्यल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन **(SSA)** नो-मैच पत्र क्यों मिला है**?**

SSA नो-मैच पत्र तब भेजे जाते हैं, जब नियोक्ता SSA को किसी कर्मचारी के बारे में जो जानकारी देता है, और SSA के रिकॉर्ड में कर्मचारी के बारे में जो जानकारी है, उस में फर्क होता है। SSA नो-मैच के सामान्य कारणों में हैं स्पेलिंग में गलती, नाम बदलना, डेटा प्रविष्ट करते समय नियोक्ता की गलतियाँ, अथवा सोश्यल सिक्योरिटी नंबरों का दुरुपयोग। केवल एक नो-मैच पत्र किसी कर्मचारी के यू.एस. के की नागरिकता, आप्रवासन स्थिति अथवा युनाइटेड स्टेट्स में काम करने की पात्रता के बारे में कोई विधान नहीं है।.

2. मुझे **SSA**से एक नो-मैच पत्र मिला है —मैं क्या करूँ*?*

यदि आपको काम करने का अधिकार प्राप्त है, और आपको SSA से एक नो-मैच पत्र प्राप्त हुआ है, तो आपको पत्र में दी गई जानकारी की आपके सोश्यल सिक्योरिटी कार्ड पर जो लिखा है, उससे तुलना करनी चाहिए।.

- यदि पत्र में दी गई जानकारी आपके सोश्यल सिक्योरिटी कार्ड पर दी गई जानकारी से **मेल नहीं खाती**, तो पत्र के साथ शामिल फॉर्म भर कर उसे जितना संभव हो उतना जल्दी SSA को भेज दें।.
- यदि पत्र की सारी जानकारी आपके सोश्यल सिक्योरिटी कार्ड पर दिखाई जानकारी से मेल खाती है, तो जितना जल्दी हो सके, अपने स्थानीय सोश्यल सिक्योरिटी कार्यालय में जा कर पता लगाएं कि नो-मैच क्यों हुआ।.

3. क्या सारे नो-मैच पत्र **SSA** से आते हैं**?**

नहीं। नो-मैच पत्र अन्य सरकारी एजेन्सियों अथवा निजी व्यवसायों जैसे कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और बैकग्राउंड चैक करने वाली कंपनियों से भी आ सकते हैं।.

4. मेरे नियोक्ता को **SSA** के अलावा किसी स्रोत से एक नो-मैच मिला — मैं क्या करूँ**?**

यदि आप काम करने को अधिकृत हैं, और आपके नियोक्ता को किसी अन्य एजेन्सी या कंपनी, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा कंपनी, से नो-मैच नोटिस मिला हो, तो आपको नो-मैच नोटिस की एक प्रति माँगनी चाहिए और:

- कंपनी/एजेन्सी का संपर्क कर पता लगाना चाहिए कि क्या उन्होंने SSA को आपकी सही जानकारी प्रदान की थी।.
- यदि एजेन्सी/कंपनी ने सही जानकारी दी थी, तो यह पता लगाने के लिए कि नो-मैच क्यों हुआ, अपने स्थानीय सोश्यल सिक्योरिटी कार्यालय में जाएं।.

5. यदि मुझे नो-मैच मिलता है, तो मुझे कौन -से अधिकार प्राप्त हैं**?**

आपके नियोक्ता को केवल नो-मैच जानकारी के आधार पर आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई (जैसे कि आपको काम से निकालना, निलंबित करना या पदावनत करना (पहले से निम्न स्थान पर रखना), वेतन न देना, काम के घंटे न देना अथवा प्रशिक्षण न देना) नहीं करनी चाहिए। आपके नियोक्ता को आपसे अधिक दस्तावेज नहीं माँगने चाहिए या फिर नो-मैच नोटिस के आधार पर उसे आपसे नया फॉर्म I-9 नहीं भरवाना चाहिए। यदि आपका नियोक्ता इनमें से कुछ भी करता है, तो आपको हमारे कार्यालय से इस टॉल-फ्री नंबर पर संपर्क करना चाहिए 1-800-255-7688.

6. मुझे मेरे नो-मैच के बारे में जानकारी देने के अलावा, मुझे अपने नियोक्ता से क्या अपेक्षा करनी चाहिए**?**

यदि आप काम करने को अधिकृत हैं, लेकिन आपको एक नो-मैच समस्या है, तो आपको अपने नियोक्ता से इनकी अपेक्षा करनी चाहिए**:**

- नो-मैच समस्या के समाधान के लिए एक वाजिब समय अवधि।;
- आपकी नागरिकता की स्थिति या राष्ट्रीय मूल जो भी हो, नो-मैच के प्रतिभाव में समान व्यवहार।;
- आप अपनी नो-मैच समस्या का समाधान कर रहे हों उस दौरान काम करना जारी रख पाना।;
- आपने नो-मैच समस्या का समाधान किया है या नहीं उस बारे में समयांतर पर अपने नियोक्ता से बातचीत।.

7. मुझे नो-मैच के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है**?**

सोश्यल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशनने SSA नो-मैच पत्रों के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ उपलब्ध कराये हैं http://ssa-custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/a_id/1127 और http://ssa-custhelp.ssa.gov/app/answers/detail/ a_id/2199/kw/2199 । प्रश्नों अथवा नो-मैच पत्र अथवा उसके जैसे नोटिसों का उत्तर देने के तरीको के बारे में सहायता के लिए हमारे कार्यालय को इस नंबर पर टॉल-फ्री फोन करें 1-800-255-7688 अथवा देखें **http://www.justice.gov/crt/about/osc/pdf/publications/SSA/FAQs.pdf ।**

कर्मचारियों के लिए नाम और सोश्यल सिक्योरिटी नंबर (SSN) "नो-मैचिज़" (No-Matches) जानकारी

आपको क्या पता होना चाहिए:

- नाम/सोश्यल सिक्योरिटी नंबर (SSN) नो-मैच सोश्यल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (SSA), अन्य सरकारी एजेन्सियों अथवा निजी कंपनियों से आ सकते हैं।
- यदि आपको या आपके नियोक्ता को SSA से नो-मैच पत्र मिलता है, तो पत्र में आपको क्या करना चाहिए, उसके इस बारे में निर्देश होंगे।
- यदि आपको या आपके नियोक्ता को अन्य सरकारी एजेन्सियों अथवा निजी कंपनियों से एक नो-मैच नोटिस मिलता है, तो आपको उस एजेन्सी या कंपनी ने SSA को जो जानकारी दी, उसकी जाँच करनी चाहिए। यदि जानकारी सही हो, तो यह पता लगाने के लिए, कि नो-मैच क्यों हुआ, SSA से संपर्क करें।
- नाम/SSN नो-मैच गलत अथवा पुरानी जानकारी के कारण हो सकते हैं।.
- आप यू.एस. के नागरिक बन जाएं, अथवा शादी, तलाक या किसी भी अन्य कारण से आपका नाम बदल जाए, तो SSA के पास के आपसे संबंधित रिकॉर्ड को संभव उतना जल्दी अद्यतन कराना आपकी जिम्मेदारी है।
- आपका नियोक्ता आपसे पूछ सकता है, कि आपने नो-मैच को ठीक करने की कोशिश करने के लिए क्या किया।.

आपको अपने नियोक्ता से इनकी माँग करनी चाहिए:

- नो-मैच का विवरण देती हुई लिखित जानकारी।;
- यह जाँच करना कि आपके नियोक्ता के पास उसके रिकॉर्ड में आपका सही नाम और SSN है।;
- आप अपना नो-मैच ठीक करें तब तक काम करना जारी रखना।;
- दस्तावेज इकट्ठा कर अपने नो-मैच को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय।;
- जब आप अपने नो-मैच का समाधान कर रहे हों, तो आपकी नागरिकता की स्थिति या राष्ट्रीय मूल जो भी हो, आपके साथ अन्य कर्मचारियों जैसा ही व्यवहार हो।.

आपको 1-800-255-7688 पर OSC हॉटलाइन को फोन करना चाहिए यदि आपका नियोक्ता:

- आपको नो-मैच को ठीक करने के लिए वाजिब समय देने से पहले केवल नो-मैच नोटिस के आधार पर एक नया फॉर्म I-9 भरने को कहता है।;
- केवल नो-मैच के आधार पर आपको काम नहीं करने देता अथवा आपका वेतन/घंटे काटता है।;
- नो-मैच को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता।;
- विभिन्न कर्मचारियों के राष्ट्रीय मूल अथवा नागरिकता की स्थिति के आधार पर अलग-अलग नो-मैच प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है।;
- नो-मैच के कारण आपसे SSA अथवा कोई भी अन्य सरकारी दस्तावेज लाने की माँग करता है।.